न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र हिंगोनिया बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 55/15 दावा/बउनवान/ब्रहानंद/जोधराज निर्णय दिंनाक 27.06.2017

बउनवान

1. ब्रहानंद पुत्र लक्ष्मण जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
2. विष्णुदयाल पुत्र लक्ष्मण जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
3. शिवनारायण पुत्र चेतराम जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
4. राधेश्याम पुत्र चेतराम जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।

बनाम

1. जोधराज पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
2. भरतराज पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी 01 व 02 स्वयं

प्रतिवादी क्रम 03 की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद विभाजन आराजी अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

निर्णय

वाद पत्र में संक्षेप तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिशनपुरा में पटवार क्षेत्र हिंगोनिया तहसील कनवास वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को संयुक्त खाते में निम्न आराजी स्थित है, जिसमें वादी क्रम 01 का 17/60 वादी क्रम 02 का 1/20 हिस्सा वादीक्रम 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीक्रम 01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निर्धारित है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा है0	किस्म	लगान
79	335	0.54	नहरी	11.88
	336	0.50	नहरी	11.00
	337	0.63	नहरी	13.86
	437	0.20	नहरी	4.40
	438	0.35	नहरी	7.70
	439	0.96	नहरी	21.12
	कुल 06 किता 3.18 है0			

यह कि मौके पर आपसी सहमति से वादी व प्रतिवादीगणों ने आराजी का विभाजन कर रखा है, जो निम्न प्रकार है।

1. विष्णुदयाल के हिस्से में आयी आराजी 1/20 हिस्से में खसरा नंबर 439 की 0.06 है0, उत्तरी तरफ की व खसरा नंबर 337 की 0.10 है0, उत्तरी तरफ की कुल खसरा किता 02 की रकबा 0.16 है0।
2. ब्रह्मानंद के हिस्से में 17/60 में आयी आराजी खसरा नंबर 439 की 0.90 है0, दक्षिणी तरफ की।
3. शिवनारायण व राधेश्याम के हिस्से 1/6 में आयी आराजी खसरा नंबर 337 की 0.53 है0, दक्षिणी तरफ की।
4. भरतराज, जोधराज का हिस्सा 1/2 मे आयी आराजी खसरा नंबर 437 की रकबा 0.20 है0, सम्पूर्ण, खसरा नंबर 438 की 0.35 है0, सम्पूर्ण, खसरा नंबर 335 की 0.54 है0, सम्पूर्ण, खसरा नंबर 336 की 0.50 हे0, सम्पूर्ण रकबा कुल खसरा किता 04 की रकबा 1.59 है0, आराजी।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य खाता संयुक्त होने से आये दिन परेशानियां आती रहती हैं, इसलिए विभाजन करना आवश्यक हो गया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन कराने में टालम टोल करने व तहसील कार्यालय में उपस्थित नंही होने से यह वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा पुनः अपने अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी ग्राम बिशनपुरा की खसरा नेंबर 335,336, 337 437, 438, 439 की रकबा 3.18 है0, आराजी की विभाजन की डिक्री पारित की वाद पत्र के पैरा नंबर 02 बताये अनुसार विभाजन कर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। पत्रावली सुनवाई हेतु न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई,, वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुये, वादी ब्रहमानंद ने एक प्रार्थना–पत्र मय रिलीज डीड व नकल जमाबंदी पेश कर निवेदन किया कि वादी क्रम 02 विष्णुदयाल ने उसके सम्पूर्ण हिस्से आराजी को वादी क्रम 01 ब्रहमानंद के पक्ष में रिलीज कर दिया है जिसका नामान्तरण संख्या 556 दिंनाक 28.06.2016 को दर्ज होकर विष्णुदयाल पुत्र लक्ष्मण का सम्पूर्ण हिस्सा वादी क्रम 01 ब्रहमानंद के पक्ष में तस्दीक होकर विष्णुदयाल का सम्पूर्ण हिस्सा ब्रहमानंद के खाते दर्ज हो गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आराजी में विष्णुदयाल का निहित 1/20 बिस्सा ब्रहमानंद के निहित 17/60 हिस्से में जोडाजाकर कुल आराजी 3.18 है0, में ब्रहामनंद का 1/3 हिस्सा होने से

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

1/3 हिस्सा पृथक किया जावे तथा वाद पत्र मे जो ब्रह्मनंद के हिस्सा व कब्जे की आराजी बता रखी है उसमें हि विष्णुदयाल के हिस्से व कब्जे की आराजी को जोडाजाकर ब्रह्मानंद का पृथक खाता में उक्त जोडी गयी आराजी को दर्शायी जावे जिसमें अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नंही कि एवं दोनों ने आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा पढकर सुनाया गया, पक्षकारान द्वारा राजीनाम सुना गया एवं सुनकर स्वीकार किया। हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेंजों को अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम बिशनपुरा पटवार क्षेत्र हिंगोनिया के खाता संख्या 179 तथा वाद पत्र के पैरा नंबर 02 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 01 व 02 को घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल हिंगोनिया के खाता संख्या 179 के खसरा नंबर 439 की 0.96 है0,सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नंबर 337 की रकबा 0.10 हे0 , उत्तरी तरफ कुल किता 02 की रकबा 1.06 है0, की आराजी का खातेदार कृषक वादीक्रम 01 ब्रह्मानंद को घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 337 की रकबा 0.53 है0, दक्षिणी तरफ का खातेदार वादी क्रम 03 शिवनारायण व वादीक्रम 04 राधेश्याम को घोषित किया जाता है प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 जोधराज, भरतराज को खसरा नंबर 437 की 0.20 है0, खसरा नंबर 438 की 0.35 हे0, खसरा नंबर 335 की 0.54 है0, खसरा नंबर 336 की 0.50 हे0,कुल खसरा किता 04 की रकबा 1.59 है0, आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन किया जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावे। निर्णयानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 27.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017" कैम्प अटल सेवा केन्द्र हिंगोनिया बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 55/15 दावा/बउनवान/ब्रहानंद/जोधराज निर्णय दिनाक 27.06.2017

1. ब्रहानंद पुत्र लक्ष्मण जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
2. विष्णुदयाल पुत्र लक्ष्मण जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
3. शिवनारायण पुत्र चेतराम जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
4. राधेश्याम पुत्र चेतराम जाति खाती निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. जोधराज पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
2. भरतराज पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

वाद विभाजन आराजी अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

मुकदमा नं 55/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 27.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 01 व 02 स्वंय व प्रतिवादी क्रम 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल हिंगोनिया के खाता संख्या 179 के खसरा नंबर 439 की 0.96 है0,सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नंबर 337 की रकबा 0.10 हे0 , उत्तरी तरफ कुल किता 02 की रकबा 1.06 है0, की आराजी का खातेदार कृषक वादीक्रम 01 ब्रह्मानंद को घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 337 की रकबा 0.53 है0, दक्षिणी तरफ का खातेदार वादी क्रम 03 शिवनारायण व वादीक्रम 04 राधेश्याम को घोषित किया जाता है प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 जोधराज, भरतराज को खसरा नंबर 437 की 0.20 है0, खसरा नंबर 438 की 0.35 हे0, खसरा नंबर 335 की 0.54 है0, खसरा नंबर 336 की 0.50 हे0,कुल खसरा किता 04 की रकबा 1.59 है0, आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में खाता विभाजन किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावे। उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	--------NIL--------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	--------NIL--------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक '''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)